

# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 215 वर्ष 2024

आवेदक- सुदन महतो

क्रेता- आशा कुमारी

ग्राम- फतेहपुर

पोस्ट-नर्रा

ग्राम- फतेहपुर

पोस्ट-नर्रा

थाना- चन्द्रपुरा

जिला-बोकारो

थाना- चन्द्रपुरा

जिला-बोकारो

आदेश की सं०

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की

तारीख

01

02

कार्रवाई के बा

टिप्पणी तारीख

03

8/2/25

आदेश

यह वाद आवेदक-श्री सुदन महतो, पिता-स्व० अन्दु महतो, मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम-फतेहपुर, पो०-नर्रा, थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

| मौजा    | थाना न० | खाता न० | प्लॉट सं० | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा                         |
|---------|---------|---------|-----------|----------|-------------|------------------------------------|
| फतेहपुर | 93      | 28      | 461       | 0.76 ए०  | 0.05 ए०     | रैयती टांड-II, वर्तमान स्वरूप परती |

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 95,000/- (पनचानबे हजार) रुपये में क्रेता श्रीमती आशा कुमारी, पति-उमेश प्रसाद महतो मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम-फतेहपुर (टोला-कोरकोटा), पो०-नर्रा, थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1192/रा०, दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा के पत्रांक-58, दिनांक-11.01.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

- बिक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछड़ी जाति की श्रेणी अन्तर्गत दर्ज है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
- बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में कला लोधर कुर्मी पीरतम राम कुरमी कौम-कुरमी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०- 38, भौलुम सं०-1 पर गुलाब महतो, जानकी महतो, अन्दु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान प्राधिकार कॉलम में दर्ज हैं।
- खतियानधारी रैयत से बिक्रेता-सुदन महतो, पिता-स्व० अन्दु महतो का संबंध वंशावली के आधार पर पिता वगै० का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
- प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में कला लोधर कुर्मी पीरतम राम कुरमी कौम-कुरमी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०- 38, भौलुम सं०-1 पर गुलाब महतो, जानकी महतो, अन्दु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश

बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछड़ी जाति की श्रेणी अन्तर्गत दर्ज है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी एवं घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-श्री सुदन महतो, पिता-स्व० अन्दु महतो, मूल एवं वर्तमान निवासे ग्राम-फतेहपुर, पो०-नर्रा, थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

| मौजा       | खाता न० | प्लॉट सं० | कुल रकबा | बिक्री रकबा                    | उत्तर सीमा | द० सीमा   | पूरब सीमा  | पश्चिम सीमा |
|------------|---------|-----------|----------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| फतेहपुर 93 | 28      | 461       | 0.76 ए०  | 0.05 ए०                        | जानकी महतो | पोखन महतो | मथुरा महतो | नरेश महतो   |
| कुल        |         |           |          | 5 डी० (पाँच डिसमिल जमीन मात्र) |            |           |            |             |

मो० 95,000/- (पनचानबे हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता श्रीमती आशा कुमारी, पति-उमेश प्रसाद महतो मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम-फतेहपुर (टोला-कोरकोटा), पो०-नर्रा, थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बेरमो (तेनुघाट)।